सं०सं०- स०क०स्था०(मु०)-68/2024 (खंड-1)-- 2261

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

सभी पदाधिकारी,
बिहार बाल विकास सेवा,
बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा,
बिहार बाल संरक्षण सेवा,
बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा,
बिहार।

पटना, दिनांक-01.04.2025

विषय :- **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक-03 मार्च, 2025 को आहुत बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :- **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के ज्ञापांक-501, दिनांक-07.03.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक-03 मार्च, 2025 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही के कंडिका-5 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को Cadre Mapping का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित करने तथा Cadre Mapping का कार्य 02 माह में निश्चित रूप से पूर्ण करने का निदेश प्राप्त है।

अतएव प्राप्त निदेश के आलोक में Cadre Management Module अंतर्गत Cadre Mapping का कार्य शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय।

इस कार्य हेतु किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए विभागीय आई०टी० प्रबंधक श्री पियूष गौरव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना (मोबाइल सं०-8114593976) से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
समाज कल्याण विभाग।

D:Sthapana 2025/Draft

Tuesday, 01 April 2025 pg. 158

भूतत्व विभाग आपदा प्रबंधन विभाग एवं सामाज कल्याण विभाग से प्राप्त है। शेष विभाग दो सप्ताह के अंदर पूर्णता प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करा दें।

(अनुपालनः—शेष संबंधित विभाग)

5. सभी विभाग अपने अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को Cadre Mapping का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित करें। इस संबंध मे प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण की आवश्यकता होने पर पुनः प्रशिक्षण हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी आवश्यक कार्रवाई करें। Cadre Mapping का कार्य 2 माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालनः—सभी विभाग एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी)

6. फेज 2 से संबंधित UAT का कार्य विशेष चयनित विभागों यथा समन्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है, कार्य पूर्ण होने पर वे UAT Sign Off के साथ अपनी प्रतिक्रिया और परीक्षण की रिपोर्ट शीघ्र भेजें।

(अनुपालनः—सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग एवं शिक्षा विभाग)

7. सभी विभाग अपने स्तर से सभी कर्मचारियों के e-Service Book को "Current Entry" के माध्यम से शीघ्र अद्यतन करें। e-Service Book को अद्यतन करने की कार्रवाई का सतत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालनः—सभी विभाग)

सधन्यवाद बैठक की कारवाई समाप्त की गई।

ह0/—

(अमृत लाल मीणा)

मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक— बि0प्र0सु0मि0सो0/विविध—09/2022, सो0....501...., दिनांक....07/03/2025

प्रतिलिपिः—1. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/25

(डॉ. प्रतिमा)

अपर मिशन निदेशक

दिनांक–03 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) परियोजना के प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही:–

दिनांक 3 मार्च 2025 को पूर्वाह्न 11:30 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के प्रगति की समीक्षा बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई। बैठक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के कार्यान्वयन तथा Go Live हो चुके Modules के उपयोग की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिए गये:–

1. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली परियोजना के क्रियान्वयन के Phase-2 से संबंधित निम्नलिखित Modules Go-Live हो गए हैं:–

    1) Leave management
    2) Sthapna
    3) Service Verification
    4) Employee Self Service Part A
    5) E-Service Book correction
    6) Reward and Appreciation
    7) IT Declaration and Proof of Investment
    8) Travel Entitlement and Claim Mgt.

    इनका उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी विभाग अपने अधीनस्थ पदाधिकारीयों/कार्यालयों को निदेशित करें तथा साप्ताहिक अनुश्रवण करें।

    (अनुपालन:–सभी विभाग)

2. Leave management Module के माध्यम से हीं अवकाश की स्वीकृति दी जाय।

    (अनुपालन:–सभी विभाग)

3. लागू हो चुके सभी मॉड्यूल का सुलभ तरीके से उपयोग हेतु मैनुअल बनाकर उसका हार्ड कॉपी सभी विभागों और जिलों को उपलब्ध करा दिया जाय।

    (अनुपालन:–बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी)

4. Cadre Management Module से संबंधित पूर्णता प्रतिवेदन मात्र 14 विभाग, यथा–कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ऊर्जा विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, संसदीय कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, परिवहन विभाग, खान एवं